

झालसा के मेडिएशन में बाधक बना अफसर

# एसआइ सस्पेंड

संवाददाता ▶ जसशेदपुर

झारखंड हाई कोर्ट, रांची के झारखंड राज्य विधिक प्राधिकार (झालसा) भवन में पति-पत्नी के विवाद के मध्यस्तथा कराने के दौरान आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची आजादनगर थाना के एसआइ पी सोरेन को एसएसपी अनूप टी मैथ्यू ने सस्पेंड कर दिया. मामला बुधवार की झारखंड हाई कोर्ट के झालसा भवन की है.

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जीके तिवारी ने बताया कि आजादनगर की महिला सहिस्ता प्रवीण ने अपने पति मुजफ्फर अली पर प्रताड़ना का केस दर्ज कराया था. मुजफ्फर ने अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दी थी. कोर्ट ने अर्जी को खारिज कर मामले को झालसा में मध्यस्तथा कर समझौता के लिए रेफर कर दिया. कोर्ट का आदेश था कि मध्यस्तथा के दौरान पुलिस अरेस्ट वारंट जारी नहीं करेगी न ही अभियुक्त को गिरफ्तार किया जायेगा. इधर

## एसएसपी ने की कार्रवाई

- पति-पत्नी के विवाद की मध्यस्तथा कराने के दौरान आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंचे थे आजादनगर थाना के एसआइ पी सोरेन

आजादनगर थाना के पी सोरेन बुधवार को आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए झालसा के मेडिएशन कक्ष में पहुंच गये. एसआइ आरोपी को जबरन हिरासत में लेकर जाने लगे, इसका विरोध करते हुए अधिवक्ताओं ने कोर्ट का आदेश को दिखाया. इस घटना को झालसा के कार्यकारी चेयरमेन जस्टिस डीएन पटेल ने गंभीरता से लिया. झालसा की शिकायत पर एसएसपी एसएसपी अनूप टी मैथ्यू ने एसआइ पी सोरेन को सस्पेंड कर दिया है.

सिविल कार्य

तथा उनकी ओर से  
 ता (सामान्य), दक्षिण  
 मय परिसर, चक्रधरपुर  
 त कार्यों के निष्पादन  
 से निर्धारित निविदा  
 निविदाएं आमंत्रित की  
 क वैध रहनी चाहिए:-  
 का नाम तथा स्थान:  
 30/ईएल/डब्ल्यूटी/  
 म न्यू कॉम्प्लेक्स की  
 न के लिए वैद्युतिक  
 र्य। 2. सीनि. डीईई  
 ल्यूटी/15-16, टाटा  
 माण (दूसरा चरण),  
 वैद्युतिक एवं सिविल  
 य विविध कार्य। 3.  
 2/ईएल/डब्ल्यूटी/15-  
 डीन टाटा, सीकेपी,  
 एवं जेएसजी के लिए  
 त आपूर्ति में सुधार।  
 33/ईएल/डब्ल्यूटी/  
 अधीन मानव रहित  
 की मैनिंग के लिए  
 वेत लागत : कमांक

1997 तक टाटा स्टील इटरनेशनल  
 ट्रेडिंग डिवीजन का काम देखा।

# अवहेलना में आज्ञादनगार थाने का दारोगा सस्पेंड

जमशेदपुर (सं.)। झारखंड हाईकोर्ट से  
 रोक के बावजूद मानगो आज्ञादनगार  
 निवासी शेख मुद्दसर अली को गिरफ्तार  
 करने वाले दारोगा पी. सोरेन काएसएसपी  
 अनूप टी. मैथ्यू ने सस्पेंड कर दिया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के  
 सचिव जीके तिवारी ने शुक्रवार को यह  
 जानकारी दी।

**ये है मामला :** आज्ञादनगार थाना कांड  
 संख्या 500/14 में शेख मुद्दसर अली पर  
 उसकी पत्नी ने प्रताड़ना का केस दर्ज  
 कराया है। शेख मुद्दसर अली ने हाईकोर्ट  
 में अग्रिम जमानत अर्जी दी थी। वहां से  
 गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाकर

स्काल्ड, लाडराशिप डवलपमेंट जस  
 विषयों पर जानकारी दी गई। प्रशिक्षण पाने

मध्यस्थता से सुलह करने का सुझाव था।  
 लेकिन जारी वारंट के आधार पर दारोगा  
 ने रांची जाकर शेख मुद्दसर अली को  
 गिरफ्तार कर लिया, जिसे हंगामा के बाद  
 छोड़ दिया गया।

**मध्यस्थता केंद्र में हस्तक्षेप न करे पुलिस**  
 : हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सह झालसा के  
 कार्यपालक चेयरमैन डीएन पटेल ने  
 घटना पर क्षोभ व्यक्त किया है। उन्होंने  
 आदेश जारी कर कहा कि एसएसपी यह  
 सुनिश्चित करें कि भविष्य में किसी भी  
 मध्यस्थता केंद्र में पुलिस का हस्तक्षेप नहीं  
 होगा। क्योंकि मध्यस्थता के लिए शांत  
 माहौल चाहिए।

एहसान अहमद  
 सिंह, संयुक्त

प्रोस्टेट क

पर किडन

जमशेदपुर (सं.)।  
 यूरोलॉजिस्ट डॉ. 3  
 कहा कि बढ़ती उम्र  
 (ग्रंथि) की समस्या  
 इसकी अनदेखी से  
 होने का खतरा बढ़  
 डॉ. शर्मा गुरुवार को  
 हेल्थ केयर में आयो  
 संबोधित कर रहे थे।  
 किडनी इस समस्या  
 लोगों के लाइफ स्टाइल  
 बहुत जरूरी है। उन्होंने  
 तंबाकू सेवन, मटन  
 खानपान के चलते प्रोस्टे  
 हैं, जिससे लोग मूत्र स  
 शिकार हो जाते हैं।